

## लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स राम नरेश शर्मा, प्रस्तावक; पिता-श्री गजाधर शर्मा, ग्राम+पो0-रामचंद्रपुर, थाना-पिपरिया, जिला-लखीसराय के द्वारा गजही नदी ब्लॉक-01 बालू घाट, मौजा-टोला बलियादाबर, प्रखंड-चकाई, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 19.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार चकाई, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, दिनांक 14.09.2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या-SIA/1(a)/ 2250/2023, दिनांक 27.01.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा- "द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "प्रभात खबर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 17.05.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा गजही नदी ब्लॉक-01 बालू घाट, मौजा-टोला बलियादाबर, प्रखंड-चकाई, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री राम नरेश शर्मा को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक- 01 में प्रतिवर्ष 178704 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹220.0 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 01 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा।

ह

बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।

4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
5. खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
6. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
12. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
13. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री राजेश कुमार, गजही, जमुई के द्वारा सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किये जाने वाला खर्च किसके माध्यम से होगा, खर्च कौन करेगा, की जानकारी मांगी गई।	सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुल परियोजना राशि का 2% , 4.4 लाख गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों से विचार-विमर्श कर व्यय किया जायेगा।
2.	श्री रंजीत राय, ग्राम-रामचंद्रडीह, चकाई, जिला-जमुई द्वारा प्रस्तावित परियोजना का समर्थन करते हुए घाटों पर पर्याप्त वृक्षारोपण एवं भू-जल स्तर को बनाये रखे जाने हेतु कारवाई करने का अनुरोध किया गया।	प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष, कुल 146 की संख्या में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। पेड़ों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी तथा नियमित रूप से पानी डाला जायेगा।
3.	श्री मुरलीधर तिवारी, ग्राम-पाटजोड़ी, चकाई, जिला-जमुई के द्वारा कितनी गहराई तक खनन किया जायेगा की जानाकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का प्रावधान है।
4.	श्री कन्हैया, ग्राम-बलियादाबर, चकाई, जिला-जमुई द्वारा पुछा कि स्थानीय लोगों को इस परियोजना से क्या सुविधा मिलेगी।	प्रस्तावित खनन परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसमें स्थानीय लोगों को वरीयता दिया जायेगा साथ ही सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रस्तावित परियोजना लागत की 2% राशि ग्रामीणों के साथ विमर्श करके स्थानीय लोगों के लाभ के लिए खर्च किया जायेगा।
5.	श्री भगवान राय, ग्राम-छछूडीह, चकाई, जिला-जमुई एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन किया गया।	

पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा सूचित किया गया कि सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत योजना लागत का 2% राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। साथ ही खनन कार्य में स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर.समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा।













लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

Hawky  
20-6-2027  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि0रा0प्र0नि0पर्वद,  
भागलपुर।

20/6/23  
अपर समाहर्ता  
जमुई।

## उपस्थिति सूची

मेसर्स राम नरेश शर्मा, पिता-श्री गजाधर शर्मा, ग्राम+पो०-रामचंद्रपुर, थाना-पिपरिया, जिला-लखीसराय द्वारा गजही नदी ब्लॉक 01 बालू घाट, मौजा-टोला बलियादाबर, ब्लॉक-चकाई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 19.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार चकाई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ravon Kular Ram	Adm/P&A/Cum S.P.O Jamui	 19/6/23
2.	Shambhu Nath Jb	Regional Officer Bhagalpur B.S.P.C.O	 19-6-23,
3.	Rakesh Ranjan	C.O - Chakai	 19/6/23
4.	J.D. Deepak	S.I Chakwal P.S.	 19/06/23.
5.	Anish Kumar	BSPCB Bhagalpur Asst. Secy. office	 19/06/23
6.	Rajesh Kumar vishwas	P & M solution Noida. (Environmental Consultant)	 vishwas
7.	Laxmi Kumar	Charan	
8.	राम नरेश शर्मा संवेदक	ग्राम+पो०-रामचंद्रपुर थाना-पिपरिया जिला-लखीसराय	
9.	प्रमोद कुमार	बलियादाबर	प्रमोद कुमार
10.	विनायक शर्मा	बलियादाबर	विनायक शर्मा

11.	प्रिंस कुमार	बलियादावर	प्रिंस कु. कन्हैया कुमार
12.	कन्हैया कुमार	बलियादावर	
13.	राजव कुमार	बलियादावर	Raushan kumar
14.	राहुल कुमार	बलियादावर	Rahul kumar
15.	संतोष कुमार	संदेश पतवार	संतोष कुमार
16.	संदीप कुमार	पंडेया	संदीप कुमार
17.	जन्म राम	दादरी निवासी	राजेश कुमार
18.	बलेश कुमार	दादरी निवासी	बलेश कुमार
19.	कुमोद कुमार	बलियादावर	कुमोद कुमार
20.	मो गूडू	राकाई	मो गूडू
21.	दुल देव मोहा	राकाई	दुल देव मोहा
22.	विजय कुमार शिखा	संजनाडीव	विजय कुमार शिखा
23.	महेम खान	राकाई	महेम खान
24.	Suresh Kr.	संजनाडीव	Suresh Kr.
25.	गोविंद खान	पंडेया	गोविंद खान

26.	चरित्रपालका	महाराष्ट्र	गणेश केशव
27.	हेडिक्लरम	आ. 1-का. 2	गणेश केशव
28.	मुनीपलका	पुणे जिल्हा	गणेश केशव
29.	रंजीत राय	पुणे जिल्हा	गणेश केशव
30.	PHD	गणेश केशव	PHD Rajesh Kumar
31.	Nopal Rantam	India	PHD
32.	सुनील	पुणे जिल्हा	
33.	उत्तम	USA	23/1/2024
34.	Bhushan Singh	India	B
35.	अजय राय	पुणे जिल्हा	अजय राय
36.	सुनील	पुणे जिल्हा	सुनील
37.	हेनरी	पुणे जिल्हा	Henry
38.	विजय राय	पुणे जिल्हा	विजय राय
39.	अशोक	पुणे जिल्हा	अशोक
40.	रविशंकर	पुणे जिल्हा	रविशंकर

41.	Punam Singh	बलियादावर	डुगडुग सिंह
42.	नवीन कुमार	गाली	नवीन कुमार
43.	NITESH Singh	Balimadavar	Nitesh Singh
44.	अमित कुमार	गाली	अमित कुमार
45.	स विज कुमार	बलियादावर	स विज कुमार
46.	राजेश कुमार	बलियादावर	राजेश कुमार
47.	अनिल कुमार	बलियादावर	अनिल कुमार
48.	मनोज कुमार	बलियादावर	मनोज कुमार
49.	रविश कुमार	बलियादावर	रविश कुमार
50.	रोहित कुमार	बलियादावर	रोहित कुमार
51.	मनिष कुमार	बलियादावर	मनिष कुमार
52.	पंकज कुमार	बलियादावर	पंकज कुमार
53.	आलोक कुमार	गाली	आलोक कुमार
54.	परीक्ष माधव	बलियादावर	Pariksha
55.	शैकर ठाकुर	दुर्गाडी वार्ड 10	शैकर ठाकुर



56.	श्री श्री (सुविधा)	Village - Daldadi - Po - Kharadi	श्री श्री
57.	Shonda Kuman.	Village - Daldadi	Shonda Kuman.
58.	Santosh Kumar	Jamni	श्री
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			